NAVBHARAT TIMES, Lucknow, 19.11.2017
Page No. 16, Size:(35.26)cms X (25.33)cms.

हम सरकार से भी शेयर नहीं करते आधार डेटा

आधार भारत में जीवन का आधार बनता जा रहा है। पढ़ाई, राशन, मोबाइल, बैंकिंग आदि तमाम जगह अब इसकी जरूरत पड़ने लगी है। ऐसे में डेटा की प्राइवेसी और कुछ दूसरे विवाद भी उठने लगे हैं। इन्हीं मुद्दों पर **राजेश मित्तल** और **अमित मिश्रा** ने बातचीत की UIDAI के सीईओ अजय भूषण पाण्डे से:

Q लोगों को लगता है कि बैंक अकाउंट से लेकर पीडीएस और प्रॉपर्टी की खरीद से लेकर सिम कार्ड तक, हर जगह आधार नंबर अटैच करवा कर केंद्र सरकार अपना शिकंजा नागरिकों पर कसने की कोशिश कर रही है। किसी सरकार-विरोधी शख्स को निपटाने के लिए सरकार आधार के जरिए उसका सारा कच्चा चिट्ठा खुलवा सकती है।

जवाब: यह सोचना कतई गलत है। इसे आप ऐसे समझिए कि हर जानकारी अलग-अलग ब्लॉक में सुरक्षित है। उसका एक-दूसरे से कोई लिंक नहीं है। प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, मोबाइल आदि से जुड़ा सारा डेटा एक जगह इकट्ठा नहीं है। बैंकों का खाँचा अलग है, टेलिकॉम कंपनियों का अलग। इन अलग-अलग खांचों में भी कोई संवेदनशील जानकारी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आपने पैन को आधार से लिंक करवाया है तो हमारे पास यूजर के पैन डिटेल्स नहीं पहुंचते और न ही पैन अथॉरिटी के पास हमारे पास स्टोर जानकारी ही पहुंचती है। हम सिर्फ केवाईसी करते हैं। मतलब अगर कोई अथॉरिटी किसी शख्स के फिंगरप्रिंट लेकर हमसे इस बात को वेरिफाई करती है कि क्या अमुक शख्स वही है जिसका वह दावा कर रहा है तो हम यह जानकारी सिर्फ 'हां' या 'नहीं' में देते हैं। साथ में 5 जानकारियां: नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और फोटो।

Q यह तो ठीक है कि बैंकों का खांचा अलग है, टेलिकॉम कंपनियों का अलग है लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कोई एक मकसद के लिए हमसे E-KYC ले और दूसरे मकसद से इसका इस्तेमाल कर ले।

जवाब: इस खतरे से निपटने के लिए आप पहले जरूर पता कर लें कि किस काम के लिए आपके आधार नंबर और फिंगरप्रिंट या आइरिस या E-KYC मांगा जा रहा है। कहां और किस वक्त पर उसका इस्तेमाल हुआ है, इस बारे में ईमेल आपके पास आ जाता है, अगर आपने आधार नंबर लेते वक्त ईमेल दिया हो। हम कुछ ही वक्त में एम-आधार मोबाइल ऐप में ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाने वाले हैं, जहां आप पिछले 6 महीने में अपने इस्तेमाल किए हुए बायोमीट्रिक डेटा को ट्रेस कर सकेंगे। आपको ऐप के जरिए यह पता चल जाएगा कि आपने कहां और किस वक्त अपना बायोमीट्रिक डेटा इस्तेमाल किया था। अगर आपको लगे कि बेजा इस्तेमाल हुआ है तो आप हमसे संपर्क करें। हम जांच करेंगे।

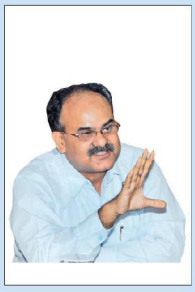

Q पर मैं प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट आदि आधार से लिंक करवाने के झंझट में क्यों पड़ू? मुझे इसका क्या फायदा?

जवाब: आधार से लिंक करवाना सबके लिए फायदे का सौदा है। अभी आपने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के वक्त आधार नंबर देने और बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन की बात की थी। हालांकि हर राज्य में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जहां यह हो रहा है, वहां किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की गुंजाइश नहीं रहती। हमारी अदालतें ऐसे सैकड़ों मुकदमों से लदी पड़ी हैं, जहां किसी ने फर्जी कागजात और सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत करके प्रॉपर्टी बेच दी। आधार से लिंक हो जाने के दूरगामी नतीजे हैं। इससे ड्राइव में भी काफी कमी आएगी। फलतू की मुकदमेबाजी कम होगी। इसी तरह बदमाश फर्जी आईडी से बैंक अकाउंट खोलकर नौकरी देने के नाम पर या दूसरे झांसे देकर भोले-भाले लोगों से पैसे जमा करते हैं और पैसे बटोरकर चंपत हो जाते हैं। अगर हर बैंक अकाउंट आधार से लिंक होगा तो ऐसे फ्रॉड बैंक बंद हो जाएंगे।

Q एक डर यह है कि किसी के पास करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी है, लाखों का बैंक बैलेंस है। कोई बंदा उसके आधार से उसकी नेटवर्थ जान सकता है।

जवाब: आधार के बारे में ऐसे आरोप निराधार हैं। ऐसा वे लोग कहते हैं, जिन्हें न तो इसके बारे में कोई जानकारी है और न ही उन्होंने कभी आधार ऐक्ट को ढंग से पढ़ा है। ऐक्ट में साफ लिखा है कि आधार के लिए इकट्ठा की गई कोई भी जानकारी आधार अथॉरिटी किसी के साथ भी नहीं शेयर करेगी।

Q इसका मतलब सरकार के साथ भी नहीं?

जवाब: जी नहीं, सरकार के साथ भी नहीं। हमने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया है। ऐसा करना अपराध है। हम सरकार या किसी जांच एजेंसी को कोई जानकारी तभी उपलब्ध करवाते हैं, जब कोर्ट हमें ऐसा करने के लिए निर्देश देता है। इससे एक कदम आगे जाकर हमने इस बात की ताकीद दी है कि हम कभी भी किसी शख्स का पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे।

Q इसका मतलब यह कि अगर पुलिस या सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे फोई जानपारी मांगे तो आप उसे मुहैया नहीं कराएंगे?

जवाब: हम तब तक कोई जानकारी नहीं मुहैया नहीं कराएंगे, जब तक कोर्ट से हमें इसके ऑर्डर नहीं मिलते। हम कोई भी डेटा जांच एजेंसी के सिर्फ मांग देने भर से उससे नहीं शेयर करते। अगर किसी जांच एजेंसी को कोई जानकारी चाहिए तो उसे पहले कोर्ट से इसका आदेश हासिल करना होगा।

Q हाल में खबर आई भी कि आधार न लिंक न होने की वजह से झारखंड में एक परिवार को राशन का सामान महीनों तक नहीं मिला। एक बच्ची की मौत हो गई। इस तरह की घटनाओं पर आपका क्या कहना है?

जवाब: सबसे पहली बात तो यह जानें कि आधार ऐक्ट में यह दर्ज है कि आधार न होने पर किसी को भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्यों के पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम में इसे एक नए बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। राशन की दुकान पर गरीब को सिर्फ आधार लिंक न होने का बहाना बना कर अनाज न देना सरासर गलत है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य सरकार की मशीनरी को भी इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। यह अपनी गलती का आधार के सिर पर ठीकरा फोड़ने वाली बात है।

Q अगर किसी का आधार डेटा मैच न करे या उसके पास आधार न हो तो वह सरकारी सुविधा कैसे ले सकता है?

जवाब: इसके लिए भी सिस्टम है। अगर मैचिंग में किसी तरह की परेशानी है या आधार नहीं है तो दूसरी आईडी से फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद सुविधा दे दी जाए। वह भी न हो तो एक रजिस्टर में उसे दर्ज करके बाद में वेरिफाई कराया जा सकता है। इसकी वजह से सुविधा में रुकावट का कोई सवाल ही नहीं है। यह कोरी बहानेबाजी है। हमने या सरकार ने कभी नहीं कहा कि आधार न होने की वजह से किसी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किया जाए।

Q अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट लेने में दिक्कत आती है। इससे उनका आधार जेनरेट करने से ही मना कर दिया जाता है।

जवाब: आधार नंबर पाना हर देशवासी का हक है और इसे कोई मना नहीं कर सकता। अगर किसी का बायोमीट्रिक डेटा लेने में दिक्कत है तो उसके लिए तस्वीर के साथ खास तरह का आधार कार्ड बना कर दिया जाता है। अगर बाद में वेरिफिकेशन के वक्त कोई दिक्कत आती है तो फोटो से मिलान करके पहचान सुनिश्चित की जा सकती है।

Q हाल में पहले लखनऊ में एसटीएफ ने एक मामले में फर्जी आधार बनाने में कई लोगों को पकड़ने का खुलासा किया था। इस तरह के मामले काफी गंभीर हैं। आपका क्या कहना है?

जवाब: इस मामले में हमने ही रिपोर्ट करवाई थी। किसी भी तरह का डेटा इस केस में लीक नहीं हुआ था। ऐसे में खुलासे का दावा करना ही समझ से बाहर है। इतने बड़े सिस्टम में हमें जब भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ का अलर्ट मिलता है तो हम संबंधित राज्य की पुलिस को संपर्क करते हैं और जरूरी कार्रवाई करने के लिए कहते हैं। ऐसा ही हमने इस केस में भी किया।

Q पिछले दिनों खबर आई थी कि अथॉरिटी ने हजारों आधार कैंसल कर दिए। यह सही है?

जवाब: हम साल में कई बार ऐसा करते हैं। आधार का किसी वजह से कैंसल हो जाना आम बात है।

Q तो क्या वे सारे आधार कार्ड बोगस थे?

जवाब: आधार कार्ड बोगस होने की वजह से कैंसल नहीं हुए। हम किसी भी शख्स द्वारा उपलब्ध कराए गए आईडी प्रूफ और अड्रेस प्रूफ के आधार पर आधार जेनरेट कर देते हैं। इसके बाद सभी कागजात की बारीकी से जांच होती है। कई बार इनमें कमी पाई जाती है। तब हम उससे जुड़े आधार को कैंसल कर देते हैं।

Q अगर आईडी के तौर पर आधार कार्ड को इस्तेमाल करना हो तो क्या ऑरिजिनल आधार कार्ड पास में होना जरूरी है?

जवाब: नहीं। अगर ऑरिजिनल कार्ड हर वक्त जेब या बैग में न रखना हो तो आप अपने मोबाइल में एमआधार (mAadhaar) डाउनलोड कर लें। जरूरत के वक्त इसे दिखाकर आपका काम चल जाएगा। यहां तक कि एयरपोर्ट में एंट्री के वक्त भी इसे दिखा सकते हैं।

Q इस ऐप में अपने आधार कार्ड को खोलने के लिए कई बार पासवर्ड डालना पड़ता है जोकि काफी झंझट भरा है। इसे सुधारने के बारे में सोच रहे हैं?

जवाब: हमें भी इस तरह की शिकायतें मिली हैं। हम इसे बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जल्द ही एम-आधार में कई नए फीचर जोड़े जाएंगे और फिलहाल आने वाली परेशानी को कम किया जाएगा। वैसे, आप ऐप की Settings में जाकर Password का ऑप्शन हटा भी सकते हैं।

Q सोशल मीडिया भी अब अफवाहें फैलाने के कारण कानून-व्यवस्था और यहां तक कि नैशनल सेक्युरिटी के लिए चुनौती बन कर उभरा है। क्या अगर भविष्य में फेसबुक या ट्विटर जैसी कंपनी आधार केवाईसी के लिए आपसे संपर्क करती है तो क्या आप सहयोग करेंगे?

जवाब: (मुस्कुराते हुए) किसी भी चीज को आधार से जोड़ने पर लोग हल्ला-हंगामा मचाने लगते हैं और आप इसे सोशल मीडिया जैसी पसंनल चीज से जोड़ने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया का माध्यम बड़ा ही पर्सनल है। फिलहाल न हमने इस बारे में कभी सोचा है और न ही हमारे पास ऐसे कोई कोई प्लान आया है।

Q हमारे देश में फर्जी वोटर, फर्जी वोटिंग भी होती है। क्या वोटर आईकार्ड को भी आधार से जोड़ने की योजना है?

जवाब: इस बारे में फैसला चुनाव आयोग को करना है।

Q अमेरिका जैसा हाई-टेक देश भी बायोमीट्रिक आइडेंटिफिकेशन को लेकर आशंकित रहता है और सिर्फ सोशल सिक्योरिटी नंबर के भरोसे है। ऐसे में हमने इसे क्यों अपनाया?

जवाब: जब उन्होंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन पर काम करना शुरू किया था, तब यह तकनीक इतनी अडवांस नहीं थी। अब अगर बेहतर है तो इसे अपनाने में क्या बुराई है? फिर भारत जैसे बड़े देश में हर इंसान के लिए एक यूनिक नंबर बनाने के लिए किसी सिस्टम को तो अपनाना ही था। अगर हम इसे न अपनाते तो हर शख्स कई आधार बनवा कर फर्जीवाड़ा कर रहा होता। ऐसे में आधार कार्ड जरूरी है।

Q आधार विरोधियों का कहना है कि सिस्टम में काफी कमियां हैं और सरकार डेटा सिक्योरिटी को लेकर गंभीर नहीं है। आपका क्या कहना है?

जवाब: विरोध करने वाले जो चाहें, कह सकते हैं। हमारा सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद है और हम इसे लगातार बेहतर बना रहे हैं। तकनीक में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है और हम इसे लगातार बेहतर बनाते जा रहे हैं।